

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

नीलम कुमारी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 241

10 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेंद्रु सिंह)

**विचार के लिए मुद्दा**

क्या, विज्ञापन के अनुसार, महिला अभ्यर्थी के पिता के संबंध में, नॉन-क्रीमी लेयर प्रस्तुत करने के लिए साक्षात्कार पत्र में लगाई गई शर्त टिकने योग्य है या नहीं?

**हेडनोट्स**

चयन एवं नियुक्ति- भारत का संविधान- अनुच्छेद 14, 16(4)- आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र-सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, बिहार में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम के भाग को रद्द करने के लिए रिट याचिका जिसके तहत याचिकाकर्ता की लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है और उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना गया है, जबकि उसने ओबीसी श्रेणी के लिए आवेदन किया था और साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था-तर्क यह है कि पहली बार साक्षात्कार के पत्र में विज्ञापन के तीन वर्ष बाद जाति प्रमाण पत्र और महिला अभ्यर्थी के मामले में माता-पिता का गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में नई शर्त शामिल की गई थी।

निर्णय: याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में स्वीकार किया है कि साक्षात्कार की तिथि पर, उसने परिपत्र संख्या 673 दिनांक 08.03.2011 की आवश्यकता के अनुसार, अपने पिता के नाम पर नहीं बल्कि अपने पति के नाम पर जारी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता ने 08.03.2011 के परिपत्र को चुनौती नहीं दी है, जिसमें खंड 11 में माता/पिता की महिला उम्मीदवार के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने बाद में परिणाम के प्रकाशन के बाद ही ओबीसी श्रेणी के तहत गैर-क्रीमी लेयर के तहत अपनी जाति का दावा करने के लिए अपने पिता की आय से संबंधित उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। परिपत्र संख्या 673 दिनांक 08.03.2011 के खंड 11 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। 673 दिनांक

08.03.2011, जिसके पश्चात् वर्ष 2016 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, के संदर्भ में आदेश पारित किया गया था। विज्ञापन में उल्लिखित नियत तिथि के पश्चात् ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रिट याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 4, 9-11)

#### न्याय दृष्टान्त

के. के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2008) 3 एससीसी 512; साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य; सिविल अपील संख्या 3957/2023 (एससी); डॉ. संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य; एलपीए संख्या 737/2016 (पीएचसी); तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य; सिविल अपील संख्या 2634/2013-पर भरोसा किया गया

#### अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

#### मुख्य शब्दों की सूची

आरक्षण-ओबीसी श्रेणी-सरकारी सेवाएं-नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र-महिला उम्मीदवार-विज्ञापन की शर्तों का अनुपालन-निर्धारित तिथि के बाद आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।

#### प्रकरण से उत्पन्न

बिहार के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए अंतिम परिणाम दिनांक 27.02.2020।

#### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री रूपक कुमार, अधिवक्ता; श्री सदानंद प्रसाद देव, अधिवक्ता; श्री विक्रान्त कुमार, अधिवक्ता

बीपीएससी के लिए: श्री कौशल कुमार झा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री शंकर कुमार ठाकुर, एसी से जीपी 27

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

#### पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में**  
**2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.241**

=====

नीलम कुमारी पति श्री सुनील कुमार, ग्राम कपसिया, वार्ड निवासी नंबर 13, पुलिस  
 स्टेशन बेगुसराय, जिला बेगुसराय

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य,प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग,नया सचिवालय, विकास  
 भवन,पटना के माध्यम से।
2. बिहार लोक सेवा आयोग सचिव, 15 बेली रोड, पटना के माध्यम से।
3. संयुक्त सचिव सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 बेली रोड, पटना।

... ..प्रतिवादी/ओं

=====

**उपस्थिति :**

|                       |   |                                                                                                 |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता/ओं के लिए | : | श्री रूपक कुमार, अधिवक्ता<br>श्री दयानंद प्रसाद देव, अधिवक्ता<br>श्री विक्रान्त कुमार, अधिवक्ता |
| बीपीएससी के लिए       | : | श्री कौशल कुमार झा, वरीय अधिवक्ता<br>श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता                                  |
| राज्य के लिए:         | : | श्री शंकर कुमार ठाकुर, अभिगम नियंत्रक से<br>सरकारी अभियोजक 27                                   |

=====

**कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेंद्र सिंह**

**मौखिक निर्णय**

**तिथि:10-04-2025**

पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से सूचित किया गया है कि वर्तमान रिट

याचिका के तथ्य सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6203/2020 के तथ्यों से भिन्न हैं और

दलीलें पूरी हो जाने के मद्देनजर वर्तमान रिट याचिका का निपटारा प्रवेश के समय ही किया जा सकता है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रूपक कुमार, श्री सदानन्द प्रसाद देव एवं श्री विक्रान्त कुमार, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल कुमार झा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमीश कुमार तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार ठाकुर को सुना गया।

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 1 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग की है, जिसे आगे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

*“यह रिट आवेदन दिनांक 27.02.2020 के अंतिम परिणाम के भाग को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें सरकारी प्रशिक्षण कॉलेजों, बिहार में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है और उसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आवेदन करने और साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना गया है। ”*

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहार में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 02/2016 के अनुसार याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में उक्त पद के लिए आवेदन किया था। वह लिखित परीक्षा में सफल हुई और उसके बाद उसे 11.12.2019 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और साक्षात्कार की तिथि पर याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसने अनुभाग अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं और

उसे बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से अनुलग्नक-आर 2/डी के माध्यम से दायर जवाबी हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाया गया है। चेक लिस्ट में याचिकाकर्ता क्रमांक 02/2016 पर (vi) ने घोषित किया है कि उसके पिता की आय से संबंधित क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिछले एक वर्ष का प्रस्तुत नहीं किया गया था, हालांकि, सुधार करने के बाद, साक्षात्कार के समय, याचिकाकर्ता ने अपने पति का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उसके साक्षात्कार के समय याचिकाकर्ता के पिता जीवित थे। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि रिट याचिका के पैरा-9 में, यह कहा गया है कि पहली बार साक्षात्कार के पत्र में विज्ञापन के तीन साल बाद जाति प्रमाण पत्र और महिला उम्मीदवार के मामले में माता-पिता का गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में नई शर्त शामिल की गई थी।

5. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2008) 3 एससीसी 512 में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया है, जिसे हाल ही में तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 2634/2013 के मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं मानने की बीपीएससी की कार्रवाई संधारणीय नहीं है और याचिकाकर्ता को अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी का उम्मीदवार मानकर बीपीएससी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(4) में निहित अधिदेश का उल्लंघन किया है। हालांकि, उक्त साक्षात्कार कॉल लेटर में यह स्पष्ट किया गया है कि परिणाम 2018 के

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15081 और 2019 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13937 के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

6. *इसके विपरीत*, बीपीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौशल कुमार झा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं चेक लिस्ट के कॉलम संख्या (vi) में घोषणा की थी और सुधार किया था क्योंकि साक्षात्कार की तिथि को उनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं था, जो कि परिपत्र संख्या 673 दिनांक 08.03.2011 के खंड 12 (ii) में निहित शर्त के अनुसार क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के संबंध में आवश्यक है। उन्होंने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 737/2016 (डॉ. संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जो 2017(1) पीएलजेआर 786 में रिपोर्ट किया गया था, जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलए(सी) संख्या 6934/2017 में पारित दिनांक 13.12.2022 के आदेश द्वारा की गई है। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण याचिकाकर्ता को अनारक्षित श्रेणी में माना गया है, जिसमें वह अर्हता प्राप्त नहीं कर सकी। चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. पक्षकारों को सुना।

8. पक्षों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण और रिट याचिका और जवाबी हलफनामे में की गई दलीलों, साथ ही संबंधित पक्षों की ओर से दायर पूरक हलफनामे पर विचार करने के बाद, वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या खंड 7(ii)(बी)(सी) में निहित विज्ञापन के संदर्भ में, महिला

उम्मीदवार के पिता के संबंध में नॉनक्रीमी लेयर प्रस्तुत करने के लिए साक्षात्कार पत्र में लगाई गई शर्त संधारण योग्य है या नहीं?

9. याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार की तिथि अर्थात् 11.12.2019 को विज्ञापन के खंड 7(ii)(बी)(सी) की आवश्यकता के अनुसार अपने पति के संबंध में क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और क्रमांक (वी) में चेक सूची में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता से संबंधित क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके साक्षात्कार की तिथि पर जीवित थे (काउंटर हलफनामे का अनुलग्नक-आर 2/डी)। अंतिम परिणाम 27.02.2020 को प्रकाशित किया गया था।

10. विज्ञापन के खंड 7(ii)(बी)(सी) में साक्षात्कार के समय गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र सहित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में स्वीकार किया है कि साक्षात्कार की तिथि पर उसने अपने पति के नाम से जारी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और बाद में साक्षात्कार की तिथि के बाद 24.12.2019 को बीपीएससी कार्यालय की मांग के अनुसार (अनुलग्नक पी7) याचिकाकर्ता ने परिपत्र संख्या 673 दिनांक 08.03.2011 की आवश्यकता के अनुसार अपने पिता के निवास स्थान से अपने पिता के पक्ष में जारी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता ने 08.03.2011 के परिपत्र को चुनौती नहीं दी है, जिसमें धारा 11 में महिला उम्मीदवार के लिए माता/पिता की आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि माता-पिता दोनों की आय या जो भी जीवित है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता के पिता के संबंध में नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में साक्षात्कार पत्र में जो

नियम और शर्तें जोड़ी गई हैं, वे पहली बार पेश की गई हैं और ऐसी शर्त वे चयन प्रक्रिया के बीच में नहीं रख सकते।

11. विज्ञापन (अनुलग्नक पी 3) के अवलोकन से भी मुझे पता चलता है कि इसके खंड (7) में उन अभ्यर्थियों के संबंध में साक्षात्कार की तिथि पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी श्रेणी के तहत दावा करें। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आवेदन किया था और वह अपने पिता का गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता ने बाद में 24.12.2019 को अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के तहत गैर-क्रीमी लेयर के तहत अपनी जाति का दावा करने के लिए अपने पिता की आय से संबंधित उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, भले ही साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही थी और परिणाम 21.08.2020 को प्रकाशित हुआ था। परिपत्र संख्या के खंड 11 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। 673 दिनांक 08.03.2011, जिसके बाद, विज्ञापन वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि खेल के किसी भी नियम को बीच में बदल दिया गया है और याचिकाकर्ता के मामले पर अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के तहत उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए उक्त प्रिंसिपल पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने परिपत्र संख्या 673 दिनांक 08.03.2011 के अनुसार क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस संबंध में कानून के. के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2008) 3 एससीसी 512 (उपर्युक्त) और तेज प्रकाश पाठक (उपर्युक्त) में रिपोर्ट किए गए मामले में अच्छी तरह से स्थापित है और यह विज्ञापन के खंड 7(ii) (बी) (सी) में निर्धारित स्पष्ट शर्तों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के समर्थन में नहीं है।

12. याचिकाकर्ता के मामले को इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से एलपीए संख्या 737/2016 (डॉ. संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) के पैरा-6 में की गई चर्चा, जो 2017(1) पीएलजेआर 786 में रिपोर्ट की गई है। मैं उपरोक्त निर्णय के पैरा 6 और 7 को उद्धृत करना उचित समझता हूँ:

“6. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, हमें वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है। विज्ञापन की शर्तों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 673 दिनांक 08.03.2011 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत न आने से संबंधित प्रासंगिक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसके खंड (12) ii में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि आय, केवल एक वर्ष के लिए वैध है। उपर्युक्त के मद्देनजर, आवेदक ने केवल 16.04.2008 का प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसमें क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने और अपनी आय बताते हुए, 15.04.2009 के बाद इसका मूल्य समाप्त हो गया और वर्तमान लेनदेन में नियुक्ति के लिए किसी भी दावे का आधार नहीं बनाया जा सकता था। अपीलकर्ता ने 24.06.2015 को साक्षात्कार में भाग लेने के समय अपनी कलम से लिखा है कि वह क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहा था। अपीलकर्ता का यह भी मामला नहीं है कि उसने 24.07.2015 को ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जो ऐसे व्यक्तियों को सत्यापन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दूसरा अवसर था। इसके अभाव में, अधिकारियों को अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के तहत अपीलकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उस श्रेणी में अपीलकर्ता ने 41.61 अंक प्राप्त किए हैं जो अंतिम चयनित उम्मीदवार से बहुत कम है, जिसके 53.04 अंक थे।

7. राम कुमार गिजरोया (उपर्युक्त) के मामले में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, हालांकि कट ऑफ तिथि के बाद। वर्तमान मामले में, यह भी नहीं कहा गया है कि प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र, एक वर्ष के भीतर जारी किया गया था, अपीलकर्ता द्वारा

अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क उस व्यक्ति के संबंध में है जो क्रीमी लेयर से संबंधित है। किसी विशेष जाति के लिए, जो तथ्य, स्पष्ट रूप से, नहीं बदल सकता है, क्योंकि यह उसके जन्म पर निर्भर है, जबकि वर्तमान मामले में, क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आने का तथ्य समय के साथ बदल सकता है क्योंकि आय बदलती रहती है और आय से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त, एक वर्ष के भीतर जारी की जाती है, उचित और न्यायोचित है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्षी अर्हा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 3957/2023) के मामले में उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए कहा कि विज्ञापन में उल्लिखित नियत तिथि के बाद ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बाद, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

13. तदनुसार, रिट याचिका ऊपर उल्लिखित कारणों से खारिज की जाती है।

14. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

संजय/-

आशीषसिंह/-

खंडन (डिस्कलेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।